



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
प्लॉट नं० -01, सैक्टर - के० पी० -4, ग्रेटर नौएडा।  
जनपद - गौतमबुद्धनगर

कृपया दिनांक 29.07.2020 को दोपहर 03:00 बजे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आर. डब्ल्यू. ए. के प्रतिनिधियों के साथ विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आहुत की गई थी, जिसमें ग्रेटर नौएडा ईस्ट एवं वेस्ट में अभियन्त्रण/विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही/आख्या की अद्यतन अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	बिन्दु	कार्यवाही आख्या	अद्यतन स्थिति
01.	सैक्टर स्वर्ण नगरी के डी ब्लॉक में ड्रेन की सफाई कई स्थानों पर सूचारु रूप से नहीं हुई है।	दिनांक 30.07.2020 को आर. डब्ल्यू. ए. अध्यक्ष श्री राजेश भाटी के साथ स्थल पर सम्बन्ध स्थापित कर पूर्ण रूप से ड्रेन की सफाई की कार्यवाही की गई।	दिनांक 30.07.2020 को आर. डब्ल्यू. ए. अध्यक्ष श्री राजेश भाटी के साथ स्थल पर सम्बन्ध स्थापित कर पूर्ण रूप से ड्रेन की सफाई की कार्यवाही की गई।
	सैक्टर स्वर्ण नगरी में अवैध रूप से चल रहे पी. जी./गेस्ट हाउस/मोबाईल टावर हटाने की मांग की गई है।	आर. डब्ल्यू. ए. के साथ संयुक्त रूप से चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अनुसार नोटिस प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	आर. डब्ल्यू. ए. के साथ संयुक्त रूप से चिन्हिकरण की कार्यवाही कर वर्क सर्किल - 5 द्वारा विभिन्न आवंटियों को नोटिस दिये गये हैं।
02.	सैक्टर - 36 में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराने एवं सोडियम लाइटों को एल. ई. डी से परिवर्तित कराने का अनुरोध किया गया है।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक ई. एण्ड एम -2 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर में खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जोकि एक सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सोडियम लाइटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी निविदा प्रक्रिया माह अगस्त में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।	आर. डब्ल्यू. अध्यक्ष के अनुरोध पर तय समय में उक्त सैक्टर की स्ट्रीट लाइट के मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। सोडियम लाइटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव वेटिंग हेतु आई. आई. टी. दिल्ली भेजा गया है।
	सैक्टर -36 के गेट नं० - 4 के सामने तालाब की बाउण्ड्रीवाल कराये जाने की मांग की गई है।	उपरोक्त पर आर. डब्ल्यू. ए की मांग के अनुसार नियोजन विभाग को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। नियोजन विभाग के मत अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।	उक्त नालियों को अवरुद्ध करने वाले रैम्प तोड़े गए तथा ड्रेन चैम्बर की सफाई सुनिश्चित की गई।
	सैक्टर - 36 में आवंटियों द्वारा अपने घर के सामने रैम्प बनाकर नालियों को कवर किया है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। अतः रैम्पों को तोड़ने की मांग की गई है।	उक्त नालियों को अवरुद्ध करने वाले रैम्पों के चिन्हिकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके अनुसार सम्बन्धित आवंटियों को नोटिस भेजकर आवश्यकतानुसार कार्यवाही आर. डब्ल्यू. ए. के साथ संयुक्त रूप से की जायेगी।	उपरोक्त पर आर. डब्ल्यू. ए. की मांग के अनुसार नियोजन विभाग को पत्रांक:-प्र०/ वरिष्ठ प्रबन्धक -5/20/567 दिनांक 06.08.2020 एवं पत्रांक प्र०/वरिष्ठ प्रबन्धक -5/20/604 दिनांक 19.08.2020 के माध्यम से प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। नियोजन विभाग के मत अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

03.	सैक्टर - 37 में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराने एवं सोडियम लाइटों को एल. ई. डी से परिवर्तित कराने का अनुरोध किया गया है।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक ई. एण्ड एम -2 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर में खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जोकि एक सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सोडियम लाइटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी निविदा प्रक्रिया माह अगस्त में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।	आर. डब्ल्यू अध्यक्ष के अनुरोध पर तय समय में उक्त सैक्टर की स्ट्रीट लाइट के मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। सोडियम लाइटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव वेटिंग हेतु आई. आई. टी. दिल्ली भेजा गया है।
	सैक्टर-37, ग्रेटर नौएडा के आर0डबल्यू0ए0 अध्यक्ष श्री जय सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की सप्लाई वर्तमान में दो समय ही की जा रही है, जिसकी अवधि और अधिक बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) को निर्देश दिये गये हैं कि आर0 डबल्यू0 ए0 अध्यक्ष/प्रतिनिधियों से साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) द्वारा अवगत कराया गया है कि द्वारा जलापूर्ति की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।	वर्तमान समय में सैक्टर - 37 , ग्रेटर नौएडा में प्राधिकरण द्वारा तीन समय (प्रातःकाल, दोपहर एवं सायंकाल) जलापूर्ति की जा रही है। इस नेटवर्क में 04 सैक्टर (सैक्टर - 36, 37, सिग्मा -1, 2) आते हैं, जिसमें से आन्तरिक जलापूर्ति सुदृढीकरण के लिए एक अन्य अपर जलाशय सिग्मा -2 में निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 08 -09 माह का समय लगेगा।
04.	सैक्टर ईटा -1 खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराने एवं सोडियम लाइटों को एल. ई. डी से परिवर्तित कराने का अनुरोध किया गया है।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक ई. एण्ड एम -2 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर में खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जोकि एक सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सोडियम लाइटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी निविदा प्रक्रिया माह अगस्त में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।	आर. डब्ल्यू अध्यक्ष के अनुरोध पर तय समय में उक्त सैक्टर की स्ट्रीट लाइट के मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। सोडियम लाइटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव वेटिंग हेतु आई. आई. टी. दिल्ली भेजा गया है।
	श्री दीपक भाटी, आर. डब्ल्यू ए. के द्वारा सैक्टर ईटा -1 के साकीपुर वाले छोर पर अवशेष बाउण्ड्रीवाल का कार्य कराये जाने की मांग की गई है।	उक्त कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाने की प्रक्रिया में है। शीघ्र ही उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।	उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जिसकी प्री-क्वालीफिकेशन बिड दिनांक 04.09.2020 को खोली जानी प्रस्तावित है।
05.	सैक्टर-ओमीकॉन 2, ग्रेटर नौएडा के आर0डबल्यू0ए0 अध्यक्ष श्री सतीश भाटी द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की सप्लाई वर्तमान में दो समय ही की जा रही है, जिसकी अवधि और अधिक बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) को निर्देश दिये गये हैं कि आर0 डबल्यू0 ए0 अध्यक्ष/प्रतिनिधियों से साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) द्वारा अवगत कराया गया है कि द्वारा जलापूर्ति की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।	वर्तमान समय में सैक्टर ओमिकान -2, ग्रेटर नौएडा में प्राधिकरण द्वारा तीन समय (प्रातःकाल, दोपहर एवं सायंकाल) जलापूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। इस नेटवर्क में 02 सेक्टर (सेक्टर ओमिकान -2, 3 व विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी) है, जिसमें आपूर्ति हेतु 05 नग नलकूप व एक अपर जलाशय है। आपूर्ति को और सुदृढीकरण के लिए 02 नग

			नलकूप और प्रस्तावित किए गए है।
06.	आर0 डबल्यू0 ए0 के पदाधिकारियों द्वारा पार्कों की बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे एवं हट की मरम्मत कराये जाने तथा सभी सैक्टरों में रोपित पेड़ों की कटाई-छँटाई (Prunning) कराये जाने का अनुरोध किया गया।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक (उद्यान) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ प्रबन्धक (उद्यान) द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में सिविल एवं उद्यानिक अनुरक्षण के कार्य अलग-अलग निविदाओं के माध्यम से कराये जाते थे, परन्तु वर्तमान में सिविल एवं उद्यानिक अनुरक्षण कार्यों का <b>Composite</b> आगणन तैयार कर कराया जाना प्रस्तावित है, जिनमें से 09 कार्यों की ई-निविदा आमन्त्रित की जा चुकी है एवं अन्य कार्यों का <b>Composite</b> आगणन तैयार कर ई-निविदा शीघ्र ही आमन्त्रित की जा रही है। कार्यों की निविदाएं स्वीकृत होने के उपरान्त सैक्टरों में कार्य प्रारम्भ कराये जाने प्रस्तावित है।	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उद्यानिक अनुरक्षण एवं सिविल अनुरक्षण कार्यों को सम्मिलित करते हुये आगणनों का गठन किया गया है, जो सैद्धान्तिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में है। स्वीकृति उपरान्त शीघ्र अति शीघ्र ई-निविदा की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर उद्यानिक/सिविल अनुरक्षण कार्यों को सुचारु रूप से कराया जायेगा।
07.	आर0 डबल्यू 0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामों में बने सैप्टिक टैंक के सीवर को टैंकरों द्वारा नाले में डाल दिया जाता है।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक (सीवर) को शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ प्रबन्धक (सीवर) द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामों में बने सैप्टिक टैंक के सीवर को सीधे एम0पी0एस0 में डाले जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।	सैप्टिक टैंक के पंजीकरण हेतु विज्ञापन अमर उजाला एवं देशबन्धु समाचार पत्र में दिनांक 07.08.2020 को दिया गया है। पंजीकृत करने के उपरान्त ग्रामों में बने सैप्टिक टैंक के सीवर को सीधे एस. टी. पी. में डाले जाने हेतु बाहय करने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में सुपरवाइजरों के माध्यम से सभी सैप्टिक टैंक मालिकों को सीवर सैप्टिक टैंक में खाली करने का अनुरोध किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त के कम में आर. डबल्यू ए. के प्रतिनिधियों का यदि कोई भी सुझाव/त्रुटि हो तो उक्त ई. मेल आई. डी [wsurbanservices@gnida.in](mailto:wsurbanservices@gnida.in) पर भेज सकते हैं।